उपखण्ड अधि
भदेसर, जि.-चि

06/06/2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प के आयोजन पर प्रस्तुत हुई। [illegible] तहसीलदार भदेसर द्वारा विज्ञप्ति प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार पार्टीशन दर्ज किए जाने में सरकार आपत्ति नहीं है। वकील वादी उपस्थित

→

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

→

अतः हस्ब फर्द बईलाइश वादे वादी किया गया। मौजा सानियाना फाइनल डिक्री किया जाता है कि मौजा सानियाना की वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खेवटदारी में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है

(1) श्री गोपाललाल पिता शंकर जाट नि० सोनरड़ा के हिस्से में रहेगी

खसरा नं०	रकबा	लगान
537/1	0.73	10.22

(2) श्री हीरा $\frac{27}{37}$ तुलसी $\frac{10}{37}$ पिता जीतू लुहार के हिस्से में रहेगी

खसरा नं०	रकबा	लगान
537 मी.	0.37	5.18

(3) श्री गोपाललाल पिता शंकर 2/3 हीरा 1/4 तुलसी 1/12 लुहार के हिस्से में रहेगी

खसरा नं.	रकबा	लगान
538	0.01	—

खातेदार वरदू शोभा अपना 1/6 हिस्सा वादी गोपाललाल को विक्रय कर दिए जाने से उक्त विभाजन किया गया। इसी अनुसार उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर अमल दरामद किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्र्वी डिक्री अलग से मुर्तिब हो। प्रकरण का ... यो निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो

6/6/17

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner